**भारत सरकार**

**शिक्षा मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1132

उत्तर देने की तारीखः 26.07.2021

**नई शिक्षा नीति**

**†1132. श्री एस. जगतरक्षकन:**

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंटरनेट पर निर्भरता और उपयुक्त और महंगे गतिशील उपकरण और शैक्षणिक संस्थानों के अचानक बंद होने और इसके परिणामस्वरूप देश भर में बड़े पैमाने पर विद्यालय छोड़ने वालों के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) व्यावहारिक रूप से अल्प और मध्यम अवधि में निष्फल बन गई है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के वर्चुअल शिक्षण मोड के छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्री**

**(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में, विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए एक सांकेतिक और सूचक कार्यान्वयन योजना तैयार की है, जिसे गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से 'छात्रों और शिक्षकों' की समग्र उन्नति (सार्थक) कहा जाता है। यह कार्यान्वयन योजना एनईपी, 2020 के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करती है और आगे का मार्ग दिखाती है। सार्थक के कार्यान्वयन से छात्रों, स्कूलों, शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, अभिभावकों और समुदाय सहित सभी हितधारकों को लाभ होगा। इसके अलावा, संबंधित संगठनों द्वारा एनईपी 2020 की सिफारिशों को लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

4 मई 2021 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक व्यापक कोविड कार्य योजना साझा की गई है, जिसमें स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने और संसाधनों को साझा करने के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका, गाँव/शहर स्तर पर नोडल समूह का गठन, डोर-टू-डोर/हेल्पडेस्क-आधारित/ऐप आधारित सर्वेक्षण को रेखांकित किया गया है।

महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को शिक्षा तक निरंतर पहुंच प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो छात्रों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध हैं चाहे उनका क्षेत्र या आर्थिक स्थिति जो भी हो। पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य शिक्षा के लिए बहु- पद्धति पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करना है। इस पहल में दूरस्थ पहुंच प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के डिजिटल मोड दीक्षा (ऑनलाइन), स्वयम (ऑनलाइन), स्वयं प्रभा (टीवी), दूरदर्शन और एआईआर नेटवर्क के उपयोग सहित अन्य टीवी चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न माध्यमों के जरिए निरंतर शिक्षा की सुविधा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रज्ञता दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देश रिमोट एक्सेस प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के डिजिटल मोड प्रदान करते हैं जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थिति शामिल है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध है, संसाधनों को विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से साझा किया जाता है जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं हैं।

डिवाइस वाले और बिना डिवाइस वाले बच्चों दोनों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के समाधान सीखने के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया गया है। इनके अलावा, सामुदायिक रेडियो, शिक्षार्थियों के घर पर वर्कशीट और पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति, शिक्षकों द्वारा घर का दौरा, सामुदायिक कक्षाएं, टोल फ्री नंबर, ऑडियो सामग्री के लिए एसएमएस आधारित अनुरोध, शैक्षिक मनोरंजन के लिए स्थानीय रेडियो सामग्री आदि का उपयोग किया गया है। सभी राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों को - इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020 में दिखाया गया है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf.

****